COURT FEE 10 रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(38)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

नि 2703 / 3960 / I-15

प्र0क0 R .... I/15–16 निगरानी

रामाधार सिंह पुत्र सुन्दर सिंह जाति गुर्जर ठाकुर निवासी ग्राम मानपुर मौजा खडियाहार तह0 अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0 ....आवेदक

श्री कृष्ण शर्मा अभिभाषक द्वारा दिनांक 11-12-15 को प्रस्तुत। 11-12-15 S.O

बनाम

बरफीबाई पत्नी रघुनाथ सिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम मानपुर मौजा खडियाहार तह0 अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0 ....अनावेदक

निगरानी आदेश विरूद्व आदेश दिनांक 28/11/2015 न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय अम्बाह जिला मुरैना के प्र0क0 04/15–16 अपील/निगरानी अन्तर्गत धारा 51 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि प्रकरण में विवादित कृषि भूमि के हिस्सा 1/3 के मृतक रघुनाथ सिंह पुत्र जालिम सिंह भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी थे।

2– यह कि मृतक रघुनाथ सिंह द्वारा अपने हिस्से की भूमि हिस्सा 1/3 की आवेदक के हक में दिनांक 02/08/2014 को रजि0 वसियतनामा सम्पादित किया गया।

3– यह कि आवेदक द्वारा वसियत के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें अनावेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत करने पर प्रकरण तहसील न्यायालय अम्बाह के यहां प्र0क0 12/14–15× अ/6 पर पंजीबद्व किया जाकर पारित आदेश दिनांक 16/10/2015 द्वारा आवेदक का नामान्तरण आवेदन अबैध आधार पर निरस्त कर दिया।

4– यह कि आवेदक द्वारा तहसील के आदेश के विरूद्व श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय अम्बाह के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्र0क0 04/14–15 अपील पर पंजीबद्व की गई है।

P/sr

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 3960– एक/15 जिला –मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3.10.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित होकर उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि यह प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते हैं। आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण न चलाने के कारण नोट प्रेस में समाप्त किया जाता है। सदस्य	